न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील (प्रकरण) संख्या :– 25/2024 जीसीएमएस नम्बर 2024/52

उनवानी प्रकरण :–

उचित मूल्य दुकानदार शिवदत्त शर्मा एफ.पी.एस. कोड 9769 ग्राम पंचायत लालपुर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर ------ अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी धौलपुर ----------- रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 03.9.2024 प्रकरण सं0 24ए/2024 उन0 सरकार बनाम शिवदत्त शर्मा, न्याया0 जिला रसद अधि0धौलपुर

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री सत्यप्रकाश कौशिक एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– सहायक लोक अभियोजक प्रथम

निर्णय **दिनांक 28.02.2025**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 03.09.2024 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत लालपुर के उपभोक्ताओं द्वारा दिनांक 05.06.2024 को अपीलान्ट के विरूद्व जिला रसद अधिकारी धौलपुर के समक्ष एक शिकायत एवं वीडियो प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा के उपभोक्ताओं से 50/–रू0 – 50/–रू0 लेकर के.वाई.सी. का कार्य किया जा रहा है। उक्त शिकायत की जॉच प्रवर्तन निरीक्षक श्रीमती समीक्षा दिनकर द्वारा दिनांक 05.06.2024 को मौके पर जाकर जांच की गई। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपने जांच रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा ई– के.वाई.सी. के एवज में 50–50/–रू0 लिये जाने की बात कही गई है तथा जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत की। उक्त अनियमितता पाये जाने पर रेस्पो0 जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेशों तक निलम्बित किया गया तथा अपीलान्ट को उक्त अनियमितताओं के सम्बध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट ने उक्त नोटिस का जबाव दिनांक 03.09.2024 को रेस्पोडेन्ट के समक्ष प्रस्तुत कर जबाव में अंकित किया कि जो वीडियो बनाया है वह गलत है, जो वीडियो है वह उन लोगो पर मेरी राशन की दुकान के पैसे थे जो ई– के.वाई.सी. कराने आये थे तो उन्होने मुझे उधारी के पैसे दिए थे

जिला कलक्टर
धौलपुर

जिसकी वीडियो बनाई गई है और उसे शिकायत में पेश कर दिया गया है। शिकातकर्ता वही है जो 2016 से अव तक मुझे पांच वार सस्पेड करा दिया है और बार बार रंजिश के कारण झूंठी शिकायत करते है। रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नोटिस का जबाव को तर्कसंगत एवं संतोषप्रद नहीं होने के कारण अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना मानते हुये तथा अपीलान्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्रधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लधंन मानते हुये अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 03.09.2024 को निरस्त कर दिया गया उक्त आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर न तो कोई जांच की और न कोई मौका पर्चा बनाया, मौके पर किसी उपस्थित व्यक्ति के हस्ताक्षर कराए और बिना मौके पर जाए अपने कार्यालय में बैठ कर मनमाने तरीके से अपीलान्ट को क्षति कारित करने के दोष पूर्ण आशय से रिपोर्ट पेश की है जिसको आधार बना कर अपीलान्ट के विरूद्व आक्षेपित आदेश पारित कर कानून की मनसा के विपरीत निर्णय किया है। आक्षेपित निर्णय विधि विधान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से व प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय दिनांक 03.09.2024 निरस्त किये जाने एवं प्राधिकार पत्र को वहाल किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर अपील की पत्रावली के साथ संलग्न की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिर्पोट में अकित आरोपों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। अपीलान्ट पर जो आरोप लगाये गये है वह निराधार है। शिकायतकर्ताओं द्वारा जो वीडियो बनाया है वह गलत है, जो वीडियो है वह उन लोगो पर मेरी परचूनी राशन की दुकान के पैसे थे जो ई– के.वाई.सी. कराने आये थे तो उन्होने मुझे उधारी के पैसे दिए थे जिसकी वीडियो बनाई गई है और उसे शिकायत में पेश कर दिया गया है। शिकातकर्ता वही है जो 2016 से अव तक मुझे पांच वार सस्पेड करा दिया है और बार बार रंजिश के कारण झूंठी शिकायत करते है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर न तो कोई जांच की और न कोई मौका पर्चा बनाया, मौके पर किसी उपस्थित व्यक्ति के हस्ताक्षर कराए और बिना मौके पर जाए अपने कार्यालय में बैठ कर मनमाने तरीके से अपीलान्ट को क्षति कारित करने के दोष पूर्ण आशय से रिपोर्ट पेश की है जिसको आधार बना कर अपीलान्ट के विरूद्व आक्षेपित आदेश पारित कर कानून की मनसा के विपरीत निर्णय किया है। आक्षेपित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से व प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे एवं प्राधिकार पत्र को वहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

जिला कलक्टर
धौलपुर

रेस्पोडेण्ट एवं उनकी ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक प्रथम ने अपनी बहस के दौरान अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुये कथन किया कि शिकायत की जॉच प्रवर्तन निरीक्षक श्रीमती समीक्षा दिनकर द्वारा दिनांक 05.06.2024 को मौके पर जाकर जांच की गई। मौके पर फर्द मौका तैयार कर उपभोक्ताओं के बयान लिये गये। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा ई– के.वाई.सी. के एवज में उपभोक्ताओं से 50–50/–रू0 लिये जाने की पुष्ठि की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लधन करने के कारण अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो सही है। अतः अपीलान्ट की अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 03.09.2024 के विरूद्व पेश की है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत लालपुर तहसील राजाखेडा के उपभोक्ताओं द्वारा दिनांक 05.06.2024 को जिला रसद अधिकारी धौलपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर अपीलान्ट के विरूद्व शिकायत व वीडियो प्रस्तुत कर अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार द्वारा खाद्य सुरक्षा के उपभोक्ताओं से 50–50 रू0 लेकर ई– के.वाई. सी. का कार्य किया जा रहा है, के सम्बध में शिकायत की। उक्त शिकायत के सम्बध में अपीलान्ट का कथन है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा जो वीडियो बनाया है वह गलत है, जो वीडियो है वह उन लोगो पर मेरी परचूनी राशन की दुकान के पैसे थे जो ई– के.वाई.सी. कराने आये थे तो उन्होने मुझे उधारी के पैसे दिए थे जिसकी वीडियो बनाई गई है और उसे शिकायत में पेश कर दिया गया है। परन्तु अपीलान्ट ने अपने उक्त कथन के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे उसके उक्त कथन की पुष्ठि होती हो। अपीलान्ट का यह भी कथन है कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर न तो कोई जांच की और न कोई मौका पर्चा बनाया, मौके पर किसी उपस्थित व्यक्ति के हस्ताक्षर कराए और बिना मौके पर जाए अपने कार्यालय में बैठ कर मनमाने तरीके से अपीलान्ट को क्षति कारित करने के दोष पूर्ण आशय से रिपोर्ट पेश की है। इस सम्बध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध फर्द मौका दिनांक 05.06.2024 जो प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मौके पर तैयार किया गया है जिस पर मौकविरान के हस्ताक्षर अंकित है तथा उपभोक्ता लक्ष्मणसिंह, प्रेमसिंह, शिवलाल व रामप्रकाश के बयान भी लिये गये है जिन्होने अपने बयानों में यह अंकित किया है कि अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार द्वारा ई– के.वाई.सी. के लिये फोन पे द्वारा 50–50रू लियें गये है। शिकायत के साथ जो वीडियो पेश किया गया है उसमें भी अपीलान्ट द्वारा ई– के.वाई.सी. के एवज में उपभोक्ताओं से 50–50/–रू0 लिये जाने की पुष्ठि की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नोटिस का जबाव को तर्कसंगत एवं संतोषप्रद नहीं होने के कारण अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना मानते हुये तथा अपीलान्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्रधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लधंन मानते हुये अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है

जिला कलक्टर
धौलपुर

जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी धौलपुर को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफत्र हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)